न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–44/2015

Sl No date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date
13.2.20	**आदेश** अंचल अधिकारी, सिकन्दरा– आवेदक **बनाम** तुलसी देवी, जौ0–भुनेश्वर मांझी– विपक्षी प्रथम ग्राम–बसैया, अंचल–सिकन्दरा, जिला–जमुई। **अभिलेख उपस्थापित।** प्रश्नगत मामला अंचल अधिकारी, सिकन्दरा के पत्रांक–209/दिनांक–06.04.2015 द्वारा सिकन्दरा अंचल अन्तर्गत मौजा–मिरचा, थाना नं0–235, खाता सं0–611, खेसरा सं0–2074, रकवा–1.90 एकड़ गैरमजरूआ आम खाते की भूमि, जिसका जमाबंदी सं0–841 एवं 1650 अवैध रूप से कायम है, जिसे रद्द करने की अनुशंसा के साथ जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–01/2015–16 का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है, के आलोक में बिहार दाखिल– खारिज अधिनियम, 2011 के तहत जमाबंदी रद्दीकरण वाद कायम कर उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की सुनवाई की गई। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कई तिथियों पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए बहस की गई तथा अपने पक्ष में लिखित बहस दिनांक–22.07.2019 को पेश किया गया है। **अंचल अधिकारी, सिकन्दरा का पक्ष :–** प्रश्नगत भूमि मौजा–मिरचा, थाना नं0–235, खाता सं0–611, खेसरा सं0–2074, रकवा–1.11 एकड़ जमीन की गलत जमाबंदी तुलसी देवी, जौ0–भुनेश्वर मांझी, ग्राम–बसैया के द्वारा कायम करा ली गई है, जो गैरमजरूआ आम खाते की भूमि है एवं खतियान में किस्म खजुरिया आहर दर्ज है। पंजी–2 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त जमीन में से रकवा–1.11 एकड़ की जमाबंदी सुरेश पाण्डेय, पे0–कमलाकान्त पाण्डेय के नाम जमाबंदी सं0–841 पर दर्ज है। इसी जमीन को तुलसी देवी, जौ0–भूना मांझी ने जमाबंदी रैयत कमलाकान्त पाण्डेय के पुत्र सुरेश पाण्डेय से शर्तिया केवाला करा कर चीट कर के दाखिल–खारिज करा ली गई है। कार्यालय में संधारित अभिलेख, राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया, अवलोकनोपरांत प्रतीत होता है कि राजस्व कर्मचारी के गलत प्रतिवेदन समर्पित करने के कारण गैरमजरूआ आम खाते की भूमि को जमाबंदी कायम हो गई है। उक्त के आलोक में जमाबंदी सं0–841 एवं 1650 में दर्ज मौजा–मिरचा, थाना नं0–235, खाता सं0–611, खेसरा सं0–2074 से संबंधित भूमि की जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण रद्द करने की अनुशंसा के साथ जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख वाद सं0–01/2015–16 इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया है। **विपक्षी का पक्ष :–** 1. विपक्षी के नाम जमाबंदी केवाला के आधार पर वर्ष 2014–15 में कायम हुई है तथा केवाला के दिन से ही उक्त भूमि विपक्षी के दखल–कब्जे में चला आ रहा है। 2. खाता सं0–611, खेसरा सं0–2074 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ	

दर्ज है।

3. समयोपरांत खाता सं0–611 की जमीन का स्वरूप बदल गया है।

4. विपक्षी के बिक्रेता सुरेश पाण्डे ने भी उक्त खाता की जमीन 1.11 डी0 जमीन को भोला सिंह से वर्ष 1973 में खरीद किया गया था। उस समय सुरेश पाण्डेय के नाम से भी जमाबंदी कायम हुई, जिसका जमाबंदी सं0–841 है तथा भोला सिंह के नाम जमाबंदी संख्या–72 कायम है, जो वर्षो पूर्व से यानि जमींदारी समाप्ति के पूर्व से ही चली आ रही है।

5. विपक्षी के नाम दाखिल–खारिज आदेश दिये जाने के पूर्व आम सूचना भी निर्गत किया गया था।

6. राजस्व कर्मचारी ने भी लिखा है कि जमाबंदी सं0–72 का दाखिल–खारिज केस सं0–1671 के द्वारा सुरेश पाण्डेय के नाम से जमाबंदी सं0–841 कायम किया गया। इससे भी स्पष्ट होता है कि पूर्व में भोला सिंह को तथा सुरेश पाण्डेय को सरकार ने खाता सं0–611, खेसरा सं0–2074 का रैयत मानते हुए लगान वसूल किया है। अब ओकुमेन्सी राईट हम विपक्षी को प्राप्त हो चुका है।

7. राजस्व कर्मचारी ने ही प्रतिवेदित पारा नं0–4 में किया है कि वर्त्तमान समय में खेसरा सं0–2074 पर गेहूँ का फसल लगा हुआ है। इसी तरह पारा नं0–06 में लिखा है कि भोला सिंह के नाम लग्गित कायम था और जोत आबाद करते भी थे जिसे 50 वर्ष पूर्व 1.11 डी0 जमीन सुरेश पाण्डेय के पास बिक्री कर दिया जिसकी जमाबंदी विधिवत् रूप से कायम हुआ है।

8. राजस्व कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि आर0टी0पी0एस0 की स्वीकृति हेतु प्रतिवेदन में आम वो खास सूचना का प्रकाशन किया जाए तो मामला पर काबू पाया जा सकता है। इस दाखिल–खारिज वाद सं0–524 में अंचल अधिकारी, सिकन्दरा द्वारा आम नोटिस भी दिनांक–24.07.2014 को जारी किया गया था।

9. विपक्षी को खेसरा सं0–2074, रकवा–1.11 डी0 के अलावे इस खेसरा के शेष जमीन के दखल–कब्जा में नहीं है।

10. विपक्षी हरिजन मुसहर समाज के है। हमारे पास इस जमीन के अलावे और कोई जमीन नहीं है। विवादित खेसरा का स्वरूप बदल गया है जिसकी पुष्टि कर्मचारी के द्वारा भी की गई है।

11. बिहार सरकार अगर पाती है कि खेसरा सं0–2074 की जमीन गैरकानूनी तरीके से हम विपक्षी के नाम जमाबंदी कायम है तो वैसी स्थिति में हम विपक्षी के नाम बंदोवस्ती करते हुए जमाबंदी बहाल रखने की कृपा की जाय।

उभयपक्षों की सुनवाई, प्रस्तुत साक्ष्य से निम्नांकित तथ्य उभरकर सामने आते है :–

1. प्रश्नगत भूमि मौजा–मिरचा, थाना नं0–235, खाता सं0–611, रकवा–2074, कुल रकवा–1.90 एकड़ गैरमजरूआ आम, किस्म–खजूरिया आहर की भूमि है।

2. उक्त खेसरा सं0–2074, जिसका कुल रकवा–1.90 एकड़ है, मे से 1.11 एकड़ भूमि विपक्षी श्रीमती तुलसी देवी, जौ0–भुनेश्वर मांझी, साकिन मौजा–बसैया द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0–405, दिनांक–17.01.2013 द्वारा श्री सुरेश पाण्डेय, पे0–कमलाकान्त पाण्डेय, साकिन मौजा–शिवडीह से शर्तिया केवाला के माध्यम से प्राप्त किया गया।

3. अंचल अधिकारी, सिकन्दरा के द्वारा दाखिल–खारिज अभिलेख

सं0–372/2014–15 में दिनांक–05.07.2014 को पारित आदेश के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

4. पुनः विपक्षी तुलसी देवी द्वारा प्रश्नगत भूमि के दाखिल–खारिज हेतु लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दिया गया, जिसमें तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिकन्दरा के द्वारा अभिलेख संख्या–524/2014–15 में दिनांक–02.08.2014 को पारित आदेश के द्वारा दाखिल–खारिज की स्वीकृति दे दी गई, जिसके कारण विपक्षी तुलसी देवी, जौ0–भुना मांझी के नाम से जमाबंदी सं0–1650 कायम कर दी गई।

5. विपक्षी द्वारा प्रश्नगत भूमि शर्तिया निबंधित वसीका के अतिरिक्त कोई कागजात यथा–उनके बिक्रेता को प्रश्नगत गैरमजरूआ आम आहर की भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. किसी भूमि का दाखिल–खारिज अंचल अधिकारी के द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाने के बाद स्वमेव उसे पुनः दाखिल–खारिज वाद के तहत अंचल अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत किया जाना बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है क्योंकि अंचल अधिकारी को अपने आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्रदत्त नहीं है।

7. गैरमजरूआ आम आहर भूमि की बंदोवस्ती की शक्ति किसी में निहित नहीं थी। स्पष्ट है कि विपक्षी के केवालेदार के केवाला के आधार पर कायम की गई जमाबंदी भी बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम का उल्लंघन है।

अतः प्रश्नगत भूमि मौजा–मिरचा, थाना नं0–235, खाता सं0–611, रकवा–2074, रकवा–1.11 एकड़ से संबंधित विपक्षी की जमाबंदी संख्या–1650 एवं उनके बिक्रेता की जमाबंदी सं0–841 से प्रश्नगत भूमि मौजा–मिरचा, थाना नं0–235, खाता सं0–611, रकवा–2074, रकवा–1.11 एकड़ भूमि को रद्द (विलोपित) की जाती है।

अंचल अधिकारी, सिकन्दरा को निदेश दिया जाता है कि तदनुसार जमाबंदियों में सुधार करें एवं उक्त कृत्य के लिए दोषी राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी को चिन्हित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव दें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

13/2/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

13/2/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 418 /रा0, दिनांक 18.02.2020

प्रतिलिपि :–विपक्षी/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, सिकन्दरा/सरकारी अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/2/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

NTC